

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 1978/कार्तिक 26, 1900
No. 338] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 1978/KARTIKA 26, 1900

इस भाग में सिम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर 1978

सं० का० नि० 556 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1973 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (संचलन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1973 की अनुसूची में, क्रम संख्या 55 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

842 GI/78

(1089)

क्रम सं०	विनिर्माता का नाम	स्थान जिससे निर्यात किया जा सकता है
(1)	(2)	(3)
“56.	मैसर्स लिबर्टी पेस्टिसाइड्स इण्डस्ट्रीज, उदयपुर, राजस्थान	उदयपुर
57.	मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज, उदयपुर, राजस्थान	उदयपुर
58.	मैसर्स वीरज केमिकल्स, बड़ौदा, गुजरात	नन्देशरी बड़ौदरा (गुजरात)”

[सं० 10-25/78-एसटीयू]]

ए० जे० एस० सोधी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1978

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, namely:—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Movement Control) Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Fertiliser (Movement Control) Order, 1973, after serial No. 55, and the entry relating thereto, the following serial Nos. and entries shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of the Manufacturer	Location from which export can be made
(1)	(2)	(3)
“56.	M/s. Liberty Pesticides Industries, Udaipur, Rajasthan.	Udaipur
57.	M/s. Hindustan Fertiliser Industries, Udaipur, Rajasthan	Udaipur
58.	M/s. Viraj Chemical, Baroda, Gujarat	Nandesari Vodo- dara (Gujarat),,

[No. 10-25/78-STU]

A.J.S. SODHI, Joint Secy.